कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

क्रमांक : स्था/2024/ 5951 दिनांकः– 24 दिसम्बर, 2024

– : आ–दे–श : –

माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/क.न्या.स. एवं लिपिक ग्रेड–II/2022/2248 दिनांक 05.08.2022, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)88/22/1265 दिनांक 20.12.2024 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन निम्न तालिका में अंकित अभ्यर्थियों को दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में **लिपिक ग्रेड–II** के पद पर अस्थायी तौर पर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या **एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 14,600/– रुपये मासिक नियत** (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

S.N.	Name of Candidate	DOB	Roll No.	Gender	Category
1.	RAJENDRA GURJAR	05-03-2001	170389	MALE	MBC
2.	VARSHA KUMARI	26-09-1995	171351	FEMALE	SC

शर्तेः–

1. सभी नियुक्तियॉ कनिष्ठ न्यायिक सहायक/कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड–द्वितीय की संयुक्त परीक्षा 2022 के संबंध में माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णायाधीन रहेंगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. **इस आदेश की प्राप्ति के 10 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।**

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर प्रथम

9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।

10. **अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

Sd/-

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर–प्रथम

क्रमांक : स्था / 2024 / 5951 दिनांकः–24 दिसम्बर, 2024

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–</u>

01 प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–I
02 राजेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री रामराय गुर्जर, ग्राम–जगरामपुरा, पोस्ट–डगरावता, तहसील–लवाण, जगरामपुरा, दौसा, पिन–303004, राजस्थान
03 वर्षा कुमारी पुत्री श्री सुबे सिंह, 18–बी, गणेश विहार विस्तार, नियर रिद्धि–सिद्धि, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, पिन–302018, राजस्थान
04 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
05 आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर–प्रथम